संख्या 468/XXVii(7) (अं0पें0यो0)/2013

प्रेषक

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1– निदेशक, लेखा एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं
उत्तराखण्ड देहरादून।
3– समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग –7 देहरादूनः दिनांक : 22: मार्च /2013

विषय :– अधिसूचना संख्या– 21/ XXVii(7) (अं0पें0यो0)/ 2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) के सम्बन्ध में समय– समय पर निर्गत शासनादेशों के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या– 21/ XXVii(7) (अं0पें0यो0)/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) लागू है। इस सम्बन्ध समय– समय पर निर्गत शासनादेशों /कार्यालय ज्ञाप में कतिपय बिन्दुओं पर विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए नई पेंशन योजना के कियान्वयन की प्रकिया के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नवत स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– अधिसूचना संख्या– 26/XXVII (7) /2008 दिनांक 30/01/2009 के द्वारा ऐसे कार्मिक जो 1 अक्टूबर 2005 को या इससे पूर्व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है। जबकि 01 अक्टूबर 2005 के बाद नई नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नई पेंशन योजना का सदस्य मानते हुए अंशदान काटा गया है। शासनादेश संख्या– 643/XXVII (7) /2010 दिनांक 11/08/2010 में व्यवस्था दी गयी है, कि ऐसे कार्मिकों के नई पेंशन योजना में जमां अंशदान (कार्मिक का अंश) की धनराशि मय ब्याज के सम्बन्धित कार्मिक के सामान्य भविष्य निधि में जमां की जायेगी और नियोक्ता /सरकार का अंश राजकोष में वापस जमां कर दिया जायेगा। परन्तु ऐसे अधिकांश प्रकरणों में अंशदान की आंशिक धनराशि सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को प्रेषित की जा चुकी है। ऐसे कार्मिकों की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार के पास न होने के कारण निस्तारण में कठिनाई हो रही है।

3– चूंकि अब उपरोक्त प्रकार के कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित नही हैं। अतः इनके अंशदान की धनराशि जो सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को प्रेषित की जा चुकी है, को पी0एफ0आर0डी0ए0 के परिपत्र सं0– PFRDA/2012/2/PDEX/2 22 जनवरी 2013 के कम में वापस मंगाया जायेगा।

4– ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु यह व्यवस्था की जाती है, कि शासनादेश संख्या– 643/XXVII (7) /2010 दिनांक 11/08/2010 के अनुसार पास बुक / लेजर में डी0डी0ओ0 एवं कोषागार द्वारा सत्यापन कर कोषागार के माध्यम से निदेशक लेखा एवं हकदारी को प्रेषित किये जायेगे। निदेशक लेखा एवं हकदारी द्वारा केवल कार्मिक के 10 प्रतिशत अंशदान में सामान्य भविष्य निधि के बराबर ब्याज आंगणित करते हुए लेखापर्ची तैयार कर सम्बन्धित कोषागार/आ0वि0अधि0 को भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। कोषागार द्वारा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से बिल तैयार करवाकर धनराशि लेखाशीर्षक 83420011703 से आहरित करते हुए सम्बन्धित कार्मिक के जी0पी0एफ0 खाते में ठीक उसी प्रकार जमां किया जायेगा जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का जी0पी0एफ0 की धनराशि चतुर्थ श्रेणी से भिन्न जी0 पी0 एफ0 खाते में जमां किया जाता है।

5— निदेशालय लेखा एवं हकदारी द्वारा बाद में ऐसे कार्मिकों की धनराशि जो सी0आर0ए0 को प्रेषित की गयी है, को सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक से प्राप्त कर शत प्रतिशत राजकोष में सुसंगत लेखाशीर्षक 0071001170300 में जमां करा दिया जायेगा। सी0आर0ए0 से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक लेखा एवं हकदारी द्वारा आंगणन कर यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि लेखाशीर्षक 83420011703 में कितना राज्यांश जमां शेष रह गया है, जिसे राजकोष में जमां नही किया गया है। और अन्त में नियोक्ता का अंश जो लेखाशीर्षक 8342 में है को आहरित कर उपरोक्त लेखाशीर्षक 0071 में जमां किया जायेगा।

6— शासनादेश संख्या—346/XXVII (7) /2007 दिनांक 21 नवम्बर 2007 में कोई कार्मिक जो इस योजना का सदस्य नही है, त्रुटिवश योजना में अंशदान की कटौती हो जाती है, तब सम्बन्धित कोषागार अभिलेख से पुष्टि के उपरान्त घटाईयें वापसियों की प्रकिया के अधीन कर्मचारी का अंश रिफण्ड और नियोक्ता का अंश वापस राजकोष में जमां करने की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु विभिन्न कोषागारों द्वारा पृच्छा की जा रही है, कि ऐसे कार्मिकों के जमां अंशदान की धनराशि जो सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को प्रेषित की गयी है, की वापसी की क्या प्रकिया होगी।

7— प्रस्तर —6 में उल्लिखित प्रकरणों में से जिनमें धनराशि सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को स्थानान्तरित की गयी है, का निस्तारण उपरोक्त प्रस्तर —4 व 5 के अनुसार ही किया जायेगा परन्तु राजकोष से कोई ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा। शेष प्रकरणों में शासनादेश संख्या—346/XXVII (7) /2007 दिनांक 21 नवम्बर 2007 के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/ कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या 468 /XXVii(7) (अं0पें0यो0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5— स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6— सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7— सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8— उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9—निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
10—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
11—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
12—गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त